

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम 85-IV/2019/

दिनांक:

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफ डी /नियम/2008 दिनांक 12.9.2008, एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं सशोधित आदेश क्रमांक प.14 (8) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 5.7.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्मिक का निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी, पद एवं पदस्थापन स्थान	प्र.नि. दिनांक	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत एसीपी पे मैट्रिक्स
1.	श्री नरेश कुमार चेजारा सहायक रेडियोग्राफर सीएमएचओ, सवाई माधोपुर	24.11.98	18 वर्ष	24.11.2016	L-11

कार्मिक का वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

U

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम 85-IV/2019/60

दिनांक: 15/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।
2. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
5. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर